

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

सं0सं0-3/यो0-29/2017 (खण्ड)

9

प्रेषक,

विजय रंजन,  
संयुक्त निदेशक (मु0),  
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 9.7.18

विषय:

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना अन्तर्गत 05 बालक गृह, 08 बालिका गृह, 12 विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान एवं 05 खुला आश्रय के संचालन के संबंध में राज्यांश मद से 8,67,53,700/- (आठ करोड़ सड़सठ लाख तीरपन हजार सात सौ) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना के अधीन राज्य के 33 जिलों में 35 बाल गृह, 23 जिलों में 25 बालिका गृह, 16 जिलों में 20 खुला आश्रय एवं सभी 38 जिलों में 42 विशिष्ट उत्तक ग्रहण संस्थान की स्थापना चरणबद्ध तरीके से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति के विरुद्ध राज्य के पांच जिलों यथा - औरंगाबाद, भोजपुर, गोपालगंज, वैशाली एवं सुपौल में बाल गृह, 8 जिलों यथा- भोजपुर, नालंदा, रोहतास, सीतामढ़ी, मुंगेर, सहरसा, दरभंगा एवं वैशाली में बालिका गृह, 12 जिलों यथा- खगडिया, किशनगंज, रोहतास, लखीसराय, जमुई, बक्सर, शेखपुरा, अरवल, शिवहर, नालंदा, जहानाबाद एवं पटना में विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान तथा 5 जिलों यथा- कटिहार, लखीसराय, दरभंगा, समस्तीपुर एवं वैशाली में खुला आश्रय की स्थापना एवं संचालन की प्रक्रिया की जा रही है। उपर्युक्त गृहों के संचालन हेतु केन्द्रांश का अंशदान 60 प्रतिशत राज्यांश का अंशदान 30 प्रतिशत तथा गैर सरकारी संस्थाओं का अंशदान 10 प्रतिशत है।


2. किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना की समितियों के दिशा निदेशों के तहत समेकित बाल संरक्षण योजना अन्तर्गत 05 बालक गृह, 08 बालिका गृह, 12 विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान एवं 05 खुला आश्रय के संचालन के संबंध में राज्यांश मद से 8,67,53,700/- (आठ करोड़ सड़सठ लाख तीरपन हजार सात सौ) मात्र की व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

3. वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रांश मद में मांग संख्या-51 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण-लघु शीर्ष-102- बाल कल्याण उपशीर्ष-0223- एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम- विपत्र कोड- 51-2235021020223, विषय शीर्ष-0223.31.04-सहायक अनुदान वेतन तथा राज्यांश मद में मांग संख्या-51 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण-लघु शीर्ष-102- बाल कल्याण उपशीर्ष-0323-एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम- विपत्र कोड- 51-2235021020323, विषय शीर्ष-0323.31.04-सहायक अनुदान वेतन मद से प्राप्त उद्व्यय/बजट उपबंध के अधीन व्यय किया जायेगा।

4. प्रस्ताव पर संचिका संख्या-3/यो0-29/2017 (खण्ड) के टिप्पणी पृष्ठ -08/टि0 पर दिनांक 25.06.2018 को माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वसभाजन


  
(विजय रंजन) 6/7/18

संयुक्त निदेशक (मु0),

ज्ञापांक :- 3/यो0-29/2017 (खण्ड).....19

पटना, दिनांक .....9.7.18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/निदेशक, योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/समाज कल्याण निदेशालय/दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/आईसी0डी0एस0 निदेशालय/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/बजट शाखा, समाज कल्याण विभाग/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


  
(विजय रंजन) 6/7/18

संयुक्त निदेशक (मु0),

ज्ञापांक :- 3/यो0-29/2017 (खण्ड).....19

पटना, दिनांक .....9.7.18

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकार/सभी उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(विजय रंजन) 6/7/18

संयुक्त निदेशक (मु0),